प्रेस नोट दिनांक 04.05.2026

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना मान्धाता के उ0नि0 प्रभात वर्मा मय हमराह हे0का0 शैलेन्द्र सिंह द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर माननीय न्यायालय एसीजेएम प्रतापगढ केश न0 5030/23 अ0स0 386/22 धारा 506 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त सदाशिव तिवारी पुत्र राममनोहर तिवारी निवासी ग्राम जमुआ थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 43 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सदाशिव तिवारी पुत्र राममनोहर तिवारी निवासी ग्राम जमुआ थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 43 वर्ष ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रभात वर्मा मय हमराह हे0का0 शैलेन्द्र सिंह थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ

थाना बाघराय पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

➡ अभियुक्ता को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्ता की बहन के घर ग्राम मदनपुर रामपुर कोटवा के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण –

आरोपी ससुरालीजन द्वारा वादी निवासी अरुऑव, थाना होलागढ़ जनपद-प्रयागराज की पुत्री को अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित करना तथा दिनांक 19.01.2026 को आरोपी ससुरालीजनों द्वारा वादी की पुत्री को जान से मार दिया गया । जिसमे वादी की तहरीर के आधार पर पर थाना बाघराय पर मु0अ0सं0 54/2026 धारा 85/80(2)/352/351 (3) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम 06 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण/ नेतृत्व में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार मय हमराह म0उ0नि0 कीर्ति रमन, रि0आ0 सौरभ यादव व रि0आ0 संजीव कुमार मय चालक हे0का0 राजाराम सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 54/2026 धारा 85/80 (2)/352/351 (3) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना बाघराय प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्ता सावित्री पटेल पत्नी रामसजीवन निवासीगण साहू की चरही महमदपुर भाव थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 50 वर्ष को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्ता की बहन के घर ग्राम मदनपुर रामपुर कोटवा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

01. सावित्री पटेल पत्नी रामसजीवन निवासीगण साहू की चरही महमदपुर भाव थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 50 वर्ष ।

पुलिस टीम-

थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार मय हमराह म0उ0नि0 कीर्ति रमन, रि0आ0 सौरभ यादव व रि0आ0 संजीव कुमार मय चालक हे0का0 राजाराम सिंह थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

➡ प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

➡ थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अपराधी सोहेल खान को किया गया गिरफ्तार, साथ ही अभियुक्त के कब्जे से 04 अदद जिंदा देशी बम बरामद किया गया-

➡ अभियुक्त को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत बूढे बाबा मन्दिर ग्राम देउम पश्चिम के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह का0 नरेश कुमार व का0 योगेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/वाहन, तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत बूढे बाबा मन्दिर ग्राम देउम पश्चिम के पास से 01 अभियुक्त सोहेल खान पुत्र निसार अहमद उर्फ वकील निवासी ग्राम बडा असांव थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 19 वर्ष के कब्जे से 04 अदद जिंदा देशी बम के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त सोहेल खान के कब्जे से 04 अदद जिंदा देशी बम बरामद किया गया । उक्त बरामदगी के संबंध में थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 84/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम- 1908 थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सोहेल खान पुत्र निसार अहमद उर्फ वकील निवासी ग्राम बडा असांव थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 19 वर्ष ।

आपराधित इतिहास-

01. मु0अ0स0-08/2025 धारा- 3/5/9/25 आर्म्स एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

02. मु0अ0सं0-09/2026धारा-115(2)/352/351(2)/351(3)BNS,3(1)द,3(1)ध,3(2)VA SC/ST एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

03. मु0अ0सं0 84/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह का0 नरेश कुमार व का0 योगेश कुमार थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्ता को कुल 10 लीटर नाजायज देशी कच्ची शराब के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा के उ0नि0 दुर्गेश सिंह मय हमराह उ0नि0 गंगाचरण प्रजापति महिला आरक्षी पूजा यादव, महिला आरक्षी प्रिया शुक्ला, रिक्रूट आरक्षी सर्वेश यादव, रिक्रूट आरक्षी आकाश यादव, रिक्रूट आरक्षी अजीत यादव, का0 उमाशंकर भारती, रिक्रूट का0 आर्यन गुप्ता व चालक हे0का0 दीपक दूबे द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था, जुर्म जरायम की रोकथाम एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जमेठी में अभियुक्ता के घर के पास से 01 अभियुक्ता केतकी पुत्री अमरनाथ सरोज निवासी ग्राम जमेठी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को कुल 10 लीटर नाजायज देशी कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0-133/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी-

कुल 10 लीटर नाजायज देशी कच्ची शराब बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 दुर्गेश सिंह मय हमराह उ0नि0 गंगाचरण प्रजापति महिला आरक्षी पूजा यादव, महिला आरक्षी प्रिया शुक्ला, रिक्रूट आरक्षी सर्वेश यादव, रिक्रूट आरक्षी आकाश यादव, रिक्रूट आरक्षी अजीत यादव, का0 उमाशंकर भारती, रिक्रूट का0 आर्यन गुप्ता व चालक हे0का0 दीपक दूबे थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त राहुल चौहान को किया गया गिरफ्तार-

➡️ अभियुक्त को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत जगतपुर मोड ग्राम जगतपुर के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 सुशील पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64(1)/87 B.N.S. थाना फतनपुर प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त राहुल चौहान सुत रविन्द्र उर्फ फक्कन चौहान निवासी ग्राम मोलनापुर थाना मीरगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 25 वर्ष को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत जगतपुर मोड ग्राम जगतपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मै ग्राम कतरौली थाना फतनपुर के वादिनी की पुत्री को लेकर अपने साथ चला गया था । हम दोनो पति पत्नी की तरह रहे मैने सम्बन्ध भी बनाया था । उसके घर वाले मेरे खिलाफ थाने पर मुकदमा लिखवा दिये तो मै उसको छोडकर इधर उधर टहल रहा था । आज मै उससे मिलने जा रहा था कि आप लोगो ने पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. राहुल चौहान सुत रविन्द्र उर्फ फक्कन चौहान निवासी ग्राम मोलनापुर थाना मीरगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 25 वर्ष ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 सुशील पटेल थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलताः रंगदारी व जानलेवा हमले का वांछित अभियुक्त अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार-

➡️ पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा "जबरन वसूली" के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त मान सिंह, 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार-

प्रतापगढ़।

वादी निवासी ग्राम सलाहपुर, थाना कोतवाली पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा आरोपित किया गया है कि दिनांक 22.04.2026 को रात्रि में घर लौटते समय आरोपीगण द्वारा उसे रास्ते में रोककर गाली-गलौज, मारपीट करते हुए असलहा दिखाकर रुपयों की मांग की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे भयभीत होकर वादी अचेत हो गया। इस संबंध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0 158/2026 धारा 126(2)/115(2)/352/351(3)/308(5)/110 बीएनएस बनाम 01 नामजद व 01 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अनीश यादव मय का0 रमारतन मिश्रा, का0 सतीश द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 158/2026 धारा 126(2)/115 (2)/352/351(3)/308(5)/110 बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त मान सिंह पुत्र जंगबहादुर सिंह निवासी ग्राम सलाहपुर थाना पट्टी जनपद

प्रतापगढ उम्र करीब 38 वर्ष को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पठखौली रोड नहर पुलिया के पास से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर की बरामदगी के संबंध में थाना पट्टी पर मु0अ0सं0 182/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह शराब पीने का आदी है तथा लोगों से पैसे लेकर शराब पीता है। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह वादी से पूर्व में भी धमका कर पैसे ले चुका है। अभियुक्त के अनुसार दिनांक 22.04.2026 को उसने असलहा दिखाकर वादी से पैसे मांगे थे तथा मना करने पर उसके साथ मारपीट की थी। साथ ही असलहा दिखाकर उसे धमकाया था। अभियुक्त ने यह भी बताया कि वह उक्त असलहा को सलाहपुर स्थित पानी की टंकी के पास छुपाकर रखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे निकालकर लोगों को डराकर/धमकाकर पैसे लेता है। आज भी अभियुक्त उक्त स्थान से असलहा निकालकर ले जा रहा था, तभी पुलिस टीम द्वारा उसे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मान सिंह पुत्र जंगबहादुर सिंह निवासी ग्राम सलाहपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 38 वर्ष ।

बरामदगी-

01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अनीश यादव मय का0 रमारतन मिश्रा, का0 सतीश थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।